(3)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सवाईचन्द शर्मा बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 370/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-01-2023	अपीलार्थी सवाईचन्द शर्मा पुत्र छगनलाल, पता ग्राम आगोलाई तहसील बालेसर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.09.2022 में (1) मुझ प्रार्थी द्वारा लोकायुक्त सचिवालय में परिवाद दर्ज संख्याप.स.एफ 35/186 लोआस/2018 व राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में परिवाद डी.बी. सिविल रिट पीटीशन नम्बर 7709/2018 के न्यायालय आदेश एवं डीबी कान्टेक्ट नम्बर 1067/18 व 19 न्यायालय आदेश की पालना मे व जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश कमांक 2967 दिनांक 20.05.2019 के आदेश की पालना में ग्राम पंचायत आगोलाई में एनएच–125 बस स्टेण्ड पर सड़क के मध्य बिन्दु से 18 मीटर में हुए निर्माण को हटाने का आदेश दिया था जैसे घर, दूकान केबिन, लोहे के छपरे व दीवार निर्माण को हटाने का आदेश दिया जिस पर आप द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई है जिसकी सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 2222 दिनांक 29.11.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्राथना पत्र के सन्दर्भ में प्रभारी अधिकारी, सतर्कता शाखा, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 2156 दिनांक 15.11.22 द्वारा कुल 96 पृष्ठों की सूचना निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी को द्वारा चाही गई सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः इनके कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	